ग्राम पंचायत सुक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सुक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण इस विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री श्याम लाल	01.04.21 से 31.03.23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री राजेश कुमार	01.04.21 से 31.03.23

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सतीश कुमार	01.04.2021 से 31.03.23

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्रीमति आशा कुमारी	01.04.2021 से 09.06.2022
2	श्री संदीप कुमार	10.06.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत सुक्कड़ के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.03
6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	28.43
7 (क,ख एवं ग)	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.38
8.1	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	0.56
8.2	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	29.97
8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि	0.47
9	निर्माण कार्य हेतु अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.07

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सुक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 28.02.2024 से 02.03.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2021-22	11/21	07/21
2022-23	10/22	05/22

*<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):-**</u> इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹6400/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 06/2024 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPS/2024/37 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया की नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 03/2024 दिनाँक 28.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/ 23 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - " क "** और **" ख "** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	486020.00	142747.00	628767.00	141665.00	487102.00
2022-23	487102.00	253749.00	740851.00	163673.00	577178.00

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	3536220.55	7686672.26	11222892.81	7845983.51	3376909.30
2022-23	3376909.30	6816091.03	10193000.33	7349524.33	2843476.00

कुल योग (1+2) = 577178.00 + 2843476.00 = **3420654.00**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनाँक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹3420654.00** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹3417938.30** से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है : -

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.23 को (₹)
1	स्व: स्रोत	KCCB दाड़ी	20129036261	576296.00
2	5 वां वित्त / एल०ए०डी०पी०	KCCB दाड़ी	50055783303	429962.00
3	एस०डी०आर०एफ०	KCCB दाड़ी	50055783722	176423.00
4	एम०पी०लेड०	KCCB दाड़ी	50055782173	40651.00
5	वी०के०वी०एन०वाई०	KCCB दाड़ी	50055783948	121275.00
6	एस०डी०पी	KCCB दाड़ी	50055783915	42641.00
7	वी०एम०जे०एस०	KCCB दाड़ी	50055783697	5212.00
8	आई०ए०वाई०	KCCB दाड़ी	50055783835	0.00
9	एम०एम०जी०पी०वाई०	KCCB दाड़ी	50075048943	51120.00
10	12 वां वित्तायोग	KCCB दाड़ी	50055783879	0.00
11	आर०ए०वाई०/ ए०ए०वाई०	KCCB दाड़ी	50055783959	0.00
12	टी०एस०सी०/ एस०बी०एम०	KCCB दाड़ी	50055783813	0.00
13	एन०आर०एच०एम०	KCCB दाड़ी	50055783802	0.00
14	14 वां वित्तायोग	KCCB दाड़ी	50055783857	0.00
15	14 वां वित्तायोग	HDFCधर्मशाला	50100316497357	67.00
16	15 वां वित्तायोग	HDFCधर्मशाला	50100371685185	1973825.30
17	हस्तगत शेष (स्व: स्रोत)			466.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनाँक 31.03.2023 का कुल योग :			3417938.30
	दिनाँक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार {पैरा- 4(क)}			₹3420654.00

	अन्तशेष :-	
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनाँक 31.03.2023 का अन्तशेष:-	₹3417938.30
	अंतर :-	₹2715.70

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.03 लाख का अन्तर पाया जाना:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनाँक 31.03.2023 को **₹2715.70** की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024 दिनाँक 01.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPS/2024/35 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार व अंकेक्षण को दिये अश्वास्नानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करने उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोल जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण खाता-ख खोल जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती

राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनाँक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता – **"क"** व खाता- **"ख"** अलग-अलग से तैयार नहीं किया गया था। अपितु 14वें व 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि को छोड़कर बाकी अन्य अनुदानों से प्राप्त निधि के आय व्यय को स्व:-स्त्रोत रोकड़ बही में सम्मिलित किया गया था जो कि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है और इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024 दिनाँक 01.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPS/2024/35 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही को पृथक कर लिया जाएगा व कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार रोकड़ बही व स्कीमवार बैंक खातों का रख-रखाव किया जाए और ई-ग्राम स्वराज पर रोकड़ बही का अद्यतन सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिये अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्वः-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GPS/2024/38 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया अतिरिक्त राशि को नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके भविष्य में सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹28.43 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 केअनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 03/2024 दिनाँक 28.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि

परिशिष्ट - " क" व **परिशिष्ट - "ख"** पर संलग्न है, के अनुसार दिनाँक 31.03.2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹2843476.00** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024 दिनाँक 01.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GPS/2024/35 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹0.38 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

(क) गृहकर की राशि ₹0.36 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34 (2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹36,000.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनाँक 31.03.23 को शेष थी। गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पता लगाया जा सके। गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024 दिनाँक 01.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPS/2024/35 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इतना अधिक पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वसूली हेतु शेष गृहकर राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष (₹)	परिवारों	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	58600.00	746	50/-	37300.00	95900.00	250.00	95650.00
2022-23	95650.00	805	50/-	40250.00	135900.00	99900.00	36000.00

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली न करना: -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनाँक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1000.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

क्र० सं०	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)
1.	श्री अमित कुमार	18.09.2021	30.09.2021	200.00
2.	श्री जीतेश कुमार	11.11.2021	27.01.2022	400.00
3.	श्री मुनीश कुमार	02.05.2021	25.05.2022	200.00
4.	श्री राकेश कुमार	02.12.2022	20.12.2022	200.00
			कुल जोड़	**1000.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024 दिनाँक 01.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GPS/2024/35 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹800 को बैंक में जमा व रोकड़ बही में लेखांकन न करना : -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बंधित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹800.00** का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया और न ही बैंक में जमा किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

क्रम संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	रसीद संख्या	दिनाँक	राशि (₹)
1.	श्री अजय सिंह	0263702	22.07.2021	200.00
2.	श्री बँटी कुमार	0263800	16.04.2022	400.00
3.	श्री राहुल	162300	23.12.2022	200.00
			कुल जोड़	**800.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024 दिनाँक 01.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GPS/2024/35 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क को बैंक में शीघ्र जमा करवा के रोकड़ बही में इन्द्राज करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत : अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार प्रत्येक प्राप्त आय का इन्द्राज रोकड़ बही में करने उपरान्त उसे सम्बन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹0.56 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹56100.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

क्रम संख्या	वा०संख्या माह/वर्ष	फर्म का नाम	विवरण	राशि (₹)
01	53 दिनांकं 04.10.2021	मै. भाटिया इन्फोटेक	लैपटॉप HP RYZEN @43500 Sl No CND1290MVY	43500.00
02	25 दिनांकं 30.05.2022	मै. भारत सेल्स	4 x 3 टेबल 34 mm @7200 कंप्यूटर टेबल @4800	12000.00
03	26 दिनांकं 30.05.2022	मै. ग्रैविटी हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग सोल्यूशंस	Logitech USB mouse @350 USB प्रिंटर केवल @250	600.00
			कुल जोड़	**56100.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024 दिनाँक 01.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPS/2024/35 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि स्टॉक प्रविष्टि कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत :क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 राशि ₹29.97 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित मापन पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिका अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसका विस्तृत विवरण

निम्न तालिका में दिया गया है, जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी:-

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	वा०सं०/ दिनाँक	स्वीकृत राशि (₹)
1. वी०एम० जे०एस०	निर्माण कार्य जीप मेन रोड से हाई स्कूल वॉर्ड 5 तक	27/18.07.2021, 28/20.07.2021, 29/26.07.2021	10,00,000.00
2. मनरेगा	निर्माण रास्ता लिंक रोड सामुदायिक भवन से मंजु की जमीन की ओर वार्ड 2	NIL/ 06.07.2021	5,00,000.00
3. मनरेगा	निर्माण जीप रोड इन्टरलॉक टाइल सहित प्रताप चंद के घर से लेकर देश राज के घर की ओर	NIL/ 06.07.2021	5,00,000.00
4. मनरेगा	निर्माण जीप रोड इन्टरलॉक टाइल सहित देश राज के घर से PWD पुली की ओर वार्ड नं 2	NIL/ 06.07.2021	5,00,000.00
5. मनरेगा	पौधारोपण पंचवटी व पंचवटी के चारों ओर	NIL/ 31.05.2022	4,97,000.00
		कुल योग	**₹29,97,000.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPS/2024/36 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि उक्त कार्यों से संबंधित मापन पुस्तिका व अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (III) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री की आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को राशि ₹0.47 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत चयनित माह (07/2021) व (05/2022) रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न विवरणानुसार **₹47,161.17** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक GPS/2024/36 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः **₹47,161.17** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वस्तुस्थितिनुसार वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्य श्री हेम राज की जमीन से श्री जैसी राम के जमीन के ओर वार्ड न 5 हेतु राशि ₹0.07 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य श्री हेम राज की जमीन से श्री जैसी राम के जमीन के ओर वार्ड न 5 की मापन पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया कि अनियमित माप गणना के कारण ₹6580.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

कार्य स्वीकृति संख्या: **1304004185/IC/32052574**	दिनाँक **19.11.2019**
प्रशासनिक स्वीकृति संख्या : **1304004185/2019-2020/13566/AS**	दिनाँक **19.11.2019**

शेल्फ क्रमांक संख्या : **मनरेगा**	कार्य स्वीकृत राशि : **1,55,411.00**
सामग्री मापन का मूल्यांकन : **75,883.00**	कुल व्यय राशि : **1,38,571.00**
मापन पुस्तिका संख्या : **045** पृष्ठ संख्या : **01 से 04**	

Error: Recording excess measurement in Item 1 (Excavation work)

In M.B. Excavation work measured for length 180 Mtrs. and total area excavated is 87 M^3 in Item 1, but in Item No. 2 onward i.e. Stone filling, P/L CC on Kull Bed and Right & Left Side wall the measurement taken for 120 Mtrs., resulting excess measurement (Excavation work) of 60 Mtrs in item No. 1.

This error has resulted in excess payment as under:-

Description of Item	Measurement as recorded in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment (₹)
Item No 1 Excavation in earth work Total Excavation work measured in 11 different RD for 180 Mtrs i.e. {15 Mtrs x 10 (RD) + 30 Mtrs x 1(RD)} but while filling stone and CC work in item No. 2 to 5 the measurement was taken for 120 Mtrs i.e. (15 Mtrs x 8 RD) resulting extra excavation work for **60 Mtrs** **(180 Mtrs – 120 Mtrs = 60 Mtrs)**.	**Item No. 1 Excavation in earth work** Total area of excavation work measured in MB Page 2 in 11 different RD i.e. (7.2 M^3 x 10 (RD) + 15 M^3 x 1 (RD) = **87 M^3** Excess measurement of area thus excavated (87 / 180 x 60) = **29 M^3**	**29 M^3 @ ₹ 226.90**	**6580.00**
		Total extra payment	**6580.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक GPS/2024/36 दिनाँक 02.03.2024द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में सम्पूर्ण जांच व कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन

सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था (उदाहरणार्थ पैरा-9) तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
8.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का	31	95(1)

	रजिस्टर		
9.	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
10.	बजट प्राक्कलन	11	37
11.	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	-----	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक GPS/2024/36 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके सुधारात्मक कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GPS/2024/38 दिनाँक 02.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालन नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2342-2346 का०/50 0 6 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(2)397/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सुकक्ड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/50

परिशिष्ट क

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF G.P. SUKKAD FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	486020.00	142747.00	628767.00	141665.00	487102.00
2022-23	487102.00	253749.00	740851.00	163673.00	577178.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	3536220.55	7686672.26	11222892.81	7845983.51	3376909.30
2022-23	3376909.30	6816091.03	10193000.33	7349524.33	2843476.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सुक्कड़
विकास खण्ड, धर्मशाला

परिशिष्ट ख

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF G.P. SUKKAD FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH STATE	2021-22	351473.00	402905.00	754378.00	353430.00	400948.00
		2022-23	400948.00	360178.00	761126.00	331164.00	429962.00
2	SDRF	2021-22	15861.00	714565.00	730426.00	608748.00	121678.00
		2022-23	121678.00	420756.00	542434.00	366011.00	176423.00
3	VKVNY	2021-22	4285.00	70179.00	74464.00	0.00	74464.00
		2022-23	74464.00	422398.00	496862.00	373287.00	123575.00
4	SDP	2021-22	409730.00	1223082.00	1632812.00	1296752.00	336060.00
		2022-23	336060.00	439242.00	775302.00	732661.00	42641.00
5	IAY	2021-22	214.00	4.00	218.00	218.00	0.00
		2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	2021-22	39115.00	1187.00	40302.00	0.00	40302.00
		2022-23	40302.00	1149.00	41451.00	800.00	40651.00
7	AAY/RAY	2021-22	589.00	8.00	597.00	597.00	0.00
		2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SBM	2021-22	138141.00	3976.00	142117.00	36282.00	105835.00
		2022-23	105835.00	1609.00	107444.00	107444.00	0.00
9	NRHM	2021-22	13368.00	206.00	13574.00	13574.00	0.00
		2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	VMJS	2021-22	602510.00	393081.00	995591.00	989266.00	6325.00
		2022-23	6325.00	181.00	6506.00	1294.00	5212.00
11	MMGPY	2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-23	0.00	982913.00	982913.00	931793.00	51120.00
12	12TH FC	2021-22	130.00	2.00	132.00	132.00	0.00
		2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	14TH FC	2021-22	1405084.55	41799.45	1446884.00	999474.00	447410.00
		2022-23	447410.00	6805.00	454215.00	454148.00	67.00
14	15TH FC	2021-22	555720.00	1288185.00	1843905.00	17.70	1843887.30
		2022-23	1843887.30	1460616.70	3304504.00	1330679.00	1973825.00
15	MNREGA	2021-22	0.00	3547492.81	3547492.81	3547492.81	0.00
		2022-23	0.00	2720243.33	2720243.33	2720243.33	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सुक्कड़
विकास खण्ड, धर्मशाला

परिशिष्ट "ग"

ग्राम पंचायत सुक्कड़, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयलिटी की कटौती न करने से राजस्व की हानि

Sr.No	Head	Name of Work	Name of Firm/Contractor by whom materials supplied	Vr.No.& Date	Bill No. & Bill Date	Name Of Item	Qty (Feet)	Unit	Qty in (M^3)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
1	MGNREGA	निर्माण वर्षाशालय -1 पंचवटी (1304004185/AV/8000041057)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	108/10.12.2020	Sand	150	cft	4.25	1.62	6.88	80	550.55
						Stone	300	nos	2.00	2.24	4.48	80	358.40
2	MGNREGA	निर्माण वर्षाशालय -2 पंचवटी (1304004185/AV/8000041058)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	109/10.12.2020	Sand	150	cft	4.25	1.62	6.88	80	559.55
						Stone	300	Nos	2.00			80	0.00
3	MGNREGA	नि० गेट वाल मनुनी खड्ड वार्ड न० 02 (1304004185/FP/8000069004)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	43/06.05.2020	Stone	700	nos	4.66	2.24	10.44	80	835.07
4	MGNREGA	नि० कुहल हेम राज की जमीन से जैसी राम की जमीन की ओर (1304004185/IC/32052574)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	60/01.06.2020	Sand	200	cft	5.66	1.62	9.18	80	734.07
						Agreegate	400	cft	11.33	1.52	17.22	80	1377.51
5	MGNREGA	नि० डोहरी कुहल पुन्या देवी की जमीन से राजिंदर कुमार की जमीन की ओर (1304004185/IC/32052912)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	66/25.07.2020	Sand	300	cft	8.50	1.62	13.76	80	1101.10
						Agreegate	300	cft	8.50	1.52	12.91	80	1035.14
6	MGNREGA	नि० डोहरी कुहल पुन्या देवी की जमीन से राजिंदर कुमार की जमीन की ओर (1304004185/IC/32052912)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	82/08.07.2020	Sand	200	cft	5.66	1.62	9.18	80	734.07
						Agreegate	400	cft	11.33	1.52	17.22	80	1377.51
7	MGNREGA	नि० कुहल पुन्नू राम के घर से पूर्ण चंद के घर की ओर Ward No. 03 (1304004185/IC/32054951)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	58/01.06.2020	Sand	300	cft	8.50	1.62	13.76	80	1101.10
						Agreegate	400	cft	11.33	1.52	17.22	80	1377.51
8	MGNREGA	नि० कुहल मदन के घर से कपिल भागीरथ के घर की ओर ward no. 07 (1304004185/IC/32054952)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	56/01.06.2020	Sand	250	cft	7.08	1.62	11.47	80	917.59
						Agreegate	400	cft	11.33	1.52	17.22	80	1377.51
9	MGNREGA	नि० ग्रामीण संपर्क मार्ग माधो राम की जमीन की ओर Ward No. 06 (1304004185/RC/8000086988)	Ajay Goods Carrier	Nil/06.07.2021	197/30.04.2020	Sand	140	cft	3.96	1.62	6.42	80	513.85
						Agreegate	140	cft	3.96	1.52	6.03	80	482.13
10	MGNREGA	नि० एम्बुलेंस रोड किशोरी लाल के घर से लेकर इंदु नाग की ओर (1304004185/RC/8000089912)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	57/01.06.2020	Sand	250	cft	7.08	1.62	11.47	80	917.59
						Agreegate	350	cft	9.91	1.52	15.07	80	1205.32
11	MGNREGA	नि० संपर्क मार्ग राजेश कुमार की जमीन से प्रकाश चंद की जमीन की ओर ward no 06(1304004185/RC/8000092996)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	59/01.06.2020	Sand	350	cft	9.91	1.62	16.06	80	1284.62
						Agreegate	450	cft	12.74	1.52	19.37	80	1549.70
12	MGNREGA	निर्माण लिंक रोड सामुदायिक भवन से मंजू की जमीन की ओर वार्ड 2 (1304004185/RC/8000108410)	Naresh Kumar	Nil/06.07.2021	117/26.12.2020	Sand	200	cft	5.66	1.62	9.18	80	734.07
						Agreegate	300	cft	8.50	1.52	12.91	80	1033.14
13	VMJS	निर्माण जीप रोड से हाई स्कूल की ओर वार्ड 5	Kuldeep Chand	Vr No. 29 /26/07/2021	4/26.07.2021	Sand	500	cft	14.16	1.62	22.94	80	1835.17
						Agreegate	800	cft	22.66	1.52	34.44	80	2755.03
						Boulder	700	cft	4.67	2.24	10.45	80	836.27
14	VKVNY	मुरम्मत डंगा हरि सिंह व अनिल कुमार की जमीन के पास वार्ड 7	Kuldeep Chand	Vr No. 22 /30/05/2022	37/02.04.2021	sand	370	cft	10.48	1.62	16.98	80	1358.03
						Agreegate	700	cft	19.82	1.52	30.13	80	2410.65
						Boulder	210	cft	1.40	2.24	3.14	80	250.88
15	15th FC	निर्माण रास्ता इन्टरलॉक टाइल रमेश के घर से सर्वेश गौतम के घर तक वार्ड 5	Kuldeep Chand	Vr No.8 / 06/05/2022	40/05.05.2022	sand	400	cft	11.33	1.62	18.35	80	1468.14
						aggregate	400	cft	11.33	1.52	17.22	80	1377.51
16	15th FC	निर्माण मेन रोड शिव मंदिर से केवल कुमार के घर तक वार्ड 6	Kuldeep Chand	Vr No.11 / 06/05/2022	39/05.05.2022	sand	400	cft	11.33	1.62	18.35	80	1468.14
						aggregate	400	cft	11.33	1.52	17.22	80	1377.51
17	15th FC	निर्माण लिंक रोड सामुदायिक भवन से मंजू की जमीन की ओर वार्ड 2	Kuldeep Chand	Vr No.13 06/05/2022	38/05.05.2022	sand	300	cft	8.50	1.62	13.76	80	1101.10
						aggregate	100	cft	2.83	1.52	4.30	80	344.38
											TOTAL		37728.93
											25% Penality		9432.23
											Net Total Due		47161.17

प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत सुक्कड़
विकास खण्ड, धर्मशाला

ग्राम पंचायत सुक्कड़
विकास खण्ड धर्मशाला

Technical Assistant
Gram Panchayat Sukkar
Dev. Block Dharamshala